न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

प्रार्थनापत्र संख्या :– 81/2018 दायर तारीख 14.05.2018

अनवान

गोपाललाल पिता उदयराम उर्फ उदयलाल जाति नायक, उम्र वयस्क, निवासी चारण माता मन्दिर के पास बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. नाथुलाल पिता उदयलाल जाति नायक, उम्र वयस्क, निवासी चारण माता मन्दिर के पास बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
2. उपरमाल स्टोन सप्लायर्स बिजौलियां कला जरिये प्रोपराईटर संजीव कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जाति जैन (सेठीया), उम्र वयस्क निवासी मकान नं0 757 ओडो का मोहला बिजौलियां, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सुमित कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री जगदीशचन्द धाकड़ विपक्षी सं. 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 27/08/2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की मुझ प्राथी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियां कलां, पटवार हल्का बिजौलियां कलां में खाता संख्या 119 आराजी नं0 1750/145 रकबा 0–02 बीघा एवं आराजी नं0 1751/145 रकबा 5–10 बीघा कुल किता 2 रकबा 5–12 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 हमराह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की खातेशुदा आराजीयात आराजी नं0 1750/145 रकबा 0–02 बीघा एवं आराजी नं0 1751/145 रकबा 5–10 बीघा कुल किता 2 रकबा 5–12 बीघा भूमि पर भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित आम रास्ते के लिए पश्चिम दिशा में आराजी नं0 1714/145 रकबा 2–00 बीघा पर होते हुए उत्तर– पश्चिम मेड़ से रास्ता जाता है जिसको प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त आराजीयात पर जाने का एक मात्र रास्ता है परन्तु उसका अंकन राजस्व रेकॉर्ड में नही होने से यह प्रार्थनापत्र धारा 251 (क)(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पक्षकारों के मध्य आने जाने के रास्ते को लेकर हो एवं प्रार्थी स्वयं की आराजी पर आने जाने के रास्ते का उपयोग शांतिपूर्वक कर सकें। नजरी नक्शा हमराह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजी नं0 1714/145 में रास्ते हेतु आराजी की कीमत प्रार्थी अदा करने को तत्पर एवं तैयार हैं। प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 119 आराजी नं0 1750/145 रकबा 0–02 बीघा एवं आराजी नं0 1751/145 रकबा 5–10 बीघा कुल किता 2

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

रकबा 5–12 बीघा भूमि पर भूमि ग्राम बिजौलियां कलां में स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए 30 फीट चौडा रास्ता जो कि आराजी नं0 1714/145 के उतर– पश्चिम मेड़ से होकर नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खाता संख्या 119 आराजी नं0 1750/145 रकबा 0–02 बीघा एवं आराजी नं0 1751/145 रकबा 5–10 बीघा कुल किता 2 रकबा 5–12 बीघा भूमि में जा रहा है। आराजी नं0 1714/145 रकबा 2–00 बीघा भूमि को खातेदार नाथुलाल पिता उदयलाल नायक जो विपक्षी संख्या 1 है द्वारा विपक्षी संख्या 2 उपर माल स्टोन सप्लायर्स बिजौलियां कला जरिये प्रोपराईटर संजीव कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जाति जैन (सेठीया) को विक्रय कर दी है। प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में भी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं, विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु अवरूद्ध किया जा रहा है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी विपक्षीगण की उपरोक्त आराजीयात पर स्थित 30 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार हैं। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 30 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किये जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी। विपक्षी नं0 1 बावजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी नं0 2 की और से श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी नं0 3 भूमिधारी तहसीलदार का नोटिस बाद तामील संलग्न हैं।

विपक्षी संख्या 2 ने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुसे अंकित किया कि प्रार्थी ने उक्त कालम में वर्णित रास्ते का कभी उपयोग उपभोग नहीं किया है। उक्त आराजी नम्बर 1714/145 रकबा 2–00 बीघा भूमि में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। तथा आराजी नम्बर 1714/145 कृषि भूमि नहीं होकर लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु सम्परिवर्तन होकर औद्योगिक कार्य हेतु रेकॉर्ड है। धारा 251 (क) (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान केवल कृषि भूमि एवं बिलानाम पर ही प्रभावी है। सम्परिवर्तन औद्यौगिक प्रयोजनार्थ भूमि पर प्रभावी नही है। प्रार्थी ने मनगढन्त तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ते पूर्व दिशा उतर दिशा व दक्षिण दिशा में उपलब्ध है। किन्तु प्रार्थी ने रजिंशवंश जवाबदावा की सम्परिवर्तन लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि में मांगा है जो गलत एवं विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी ने रजिंशवंश जवाबदावा की औद्योगिक भूमि से रास्ता मांगा है किन्तु धारा 251 (क) (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान औद्योगिक भूमि में लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी ने मनगढन्त एवं काल्पनिक तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता पूर्व दिशा, उतर दिशा व दक्षिण दिशा में उपलब्ध है। फिर प्रार्थी ने रजिंशवंश जवाबदावा की सम्परिवर्तन

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

औधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि से रास्ता मांगा है जो विधि विरूद्ध हैं। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि में रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय श्रीमान को क्षवणाधिकार नही होकर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान के क्षवणाधिकार का नही होकर प्रार्थनापत्र काबिल खारिज योग्य हैं।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं के खाते की भूमि पर रकबा 5–12 बीघा भूमि पर पहुंचने के लिए विपक्षी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1714/145 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान किये जाने की मांग की हैं। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र करते हुये बताया कि आराजी नम्बर 1714/145 गै0मू0 औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमाबन्दी ग्राम बिजौलियां कला संवत 2071–2074 खाता संख्या 234 पर दर्ज हैं। भूमि की किस्म गै0मू0 औद्योगिक प्रयोजन दर्ज होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षैत्राधिकार में नही आता हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम बिजौलियां कला की आराजी नम्बर 1714/145 गै0मू0 औद्योगिक प्रयोजनार्थ श्री उपरमाल स्टोन सप्लायर्स बिजौलियां कला जरिये प्रोपराईटर संजीव कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जाति जैन (सेठीया) के नाम जरिये विक्रय से दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि की किस्म गे0मू0 औद्योगिक दर्ज अभिलेख हैं। भूमि कृषि से अकृषि में दर्ज होने से इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही आता हैं। जब भूमि की किस्म ही गै0मू0 औद्योगिक हैं तो तहसील कार्यालय से विकल्प में रास्ते सम्बन्धी रिपोर्ट तलब कराने की आवश्यकता नही हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** अस्वीकार किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक **27/08/2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner